न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

मुकदमा सं. 356/2018 | Gcms-2018 | 00348 | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रभातीलाल v/s भूमिधारी NGT	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 09/05/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 LRACT स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो। (हस्ताक्षर) राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verif
Digitally signed by Raj
Yadav
Date: 2025.05.26 12:05
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रा. पत्र संख्याः–356/2018
जी.सी.एम.एस. नं.ः–2018/00348

1. प्रभातीलाल पुत्र बंशीधर जाति अहीर निवासी ढाणी ड्योडा तन सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

–आवेदक

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर

–अनावेदक

उपस्थितिः– श्री नवीन यादव एडवोकेट, नीमकाथाना –आवेदक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांकः– 09/05/2025

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम सिरोही तहसील नीमकाथाना में स्थित भूमि पुराने खसरा नं. 1422/1700 रकबा 3.16 हैक्ट. के 1/4 हिस्से की भूमि आवेदक एवं मेघाराम, घासीराम, भोलाराम, फूलचन्द, ताराचन्द, अनिल कुमार पुत्रगण बंशीधर, रामादेवी पत्नी बंशीधर ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख खरीद की गई थी। नामान्तरकरण संख्या 1653 दिनांक 5.4.2002 स्वीकार किया गया। नामान्तकरण के आधार पर जमाबन्दी सम्वत् 2056–2059 में अंकन सही दर्ज कर दिया गया।

पुराने खसरा नं. 1422/1700 रकबा 3.16 हैक्ट. के नये खसरा नं. 2085 रकबा 3.16 हैक्ट. कायम करते हुये नई जमाबंदी सं. 2071–2074 बनाई गई जिसमें आवेदक एवं मेघाराम, घासीराम, भोलाराम, फूलचन्द, ताराचन्द, अनिल कुमार पुत्रगण बंशीधर, रामादेवी पत्नी बंशीधर का नाम अंकित होने से रह गया। विक्रय लेख से पूर्व जो जमाबंदी थी उसी के अनुसार नई जमाबंदी बनाई गई जो राजस्व अभिलेख के विपरीत है।

उक्तानुसार हुई लिपिकीय भूल को दुरूस्त करने हेतु आवेदक ने दिनांक 25.6.2018 को प्रशासन गांवों के संग अभियान में अनावेदक को [illegible] किया गया जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसलिये [illegible] में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व [illegible] सिरोही में स्थित पुराने खसरा नं. 1422/1700 रकबा 3.16 हैक्ट. जो जमाबन्दी [illegible]056–2059 में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 1653 दिनांक 5.4.2002 के अनुसार नये खसरा नं. 2085

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.26 12:05:11 IST
Reason: SelfAttested

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

रकबा 3.16 हैक्ट. में आवेदक एवं अन्य का नाम जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 में दर्ज करने का आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है। आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में नामान्तरकरण संख्या 1653 ग्राम सिरोही, मिसल, मिलान क्षेत्रफल, सैटलमेन्ट का पर्चा वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रतियां तथा सम्वत् 2056–2059 की जमाबंदी की फोटो प्रति पेश की गई है।

उक्त तथ्यों के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर वास्ते सुनवाई अनावेदक को जरिए नोटिस जारी किया गया तथा रिकार्ड दुरूस्ती बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखा गया। अनावेदक तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पत्रांक भू.अ./2024/2730 दिनांक 15.5.2024 के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की गई ।

विज्ञ अधिवक्ता आवेदक को सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना का अवलोकन किया गया। नामान्तरकरण संख्या 1653 दिनांक 5.4.2002 विक्रय पत्र का भरा जाकर स्वीकार किया गया है। जिसमें आवेदक एवं अन्य के नाम से भरा जाकर स्वीकार किया गया है। जमाबंदी सम्वत् 2056–2059 में नामान्तरकरण का अंकन करते हुए खातेदारी दर्ज की गई है। आगामी जमाबंदी में आवेदक व अन्य की खातेदारी दर्ज होना नहीं पाई जाती जो एक लिपिकीय त्रुटि है। मिलान क्षेत्रफल से पुराने खसरा नं. 1422/1700 रकबा 3.16 हैक्ट. के नये खसरा नं. 2085 रकबा 3.16 हैक्ट. होना पाया जाता है। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से जाहिर होता है कि विक्रेता गधूराम जो फौत हो चुका है के वारिसान के नाम से वापिस खातेदारी दर्ज हुई है जो त्रुटि के कारण हुई है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि ग्राम सिरोही की जमाबंदी सम्वत् 2056–2059 के खाता संख्या 39 में अंकित नामान्तरकरण संख्या 1653 के अनुसार वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 के खाता संख्या 323 में आवेदक एवं मेघाराम, घासीराम, भोलाराम, फूलचन्द, ताराचन्द, अनिल कुमार पुत्रगण बंशीधर, रामादेवी पत्नी बंशीधर के नाम हिस्से अनुसार खातेदारी दर्ज की जावे। आदेश की पालना में तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,नीमकाथाना

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.26 12:05:11 IST
Reason: SelfAttested